न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार योगी (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 119/2013

उनवान

1. शैलेश पुत्र दिनेश चन्द्र।
2. प्रमोद कुमार पुत्र दिनेशचन्द्र।

समस्त जाति कायस्थ, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण वादीगण –

बनाम

1. दिनेश चन्द्र माथुर पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण माथुर, जाति कायस्थ, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूँ जिला जयपुर।
3. उप पंजियक महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण –

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :-01/05/2017

प्रार्थीगण वादीगण के दादा/पडदादा की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 155, 156, 157, 154 की भूमि वाके ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित रही है, जिसके दौराने सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 390 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.98 है0, खसरा नम्बर 393 रकबा 1.41 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 2.60 है0 है, जो भूमि विवादित है। भूमि विवादग्रस्त प्रार्थीगण वादीगण की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 प्रार्थीगण वादीगण का पिता है।

विवादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/12 हिस्सा दर्ज खातेदारी में है। जो अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्रार्थीगण वादीगण के पडदादा स्व0 महादेव पुत्र बिहारीलाल व दादा हरिनारायण पुत्र महादेव से प्राप्त हुई है। जो प्रार्थीगण वादीगण की उक्त पुश्तैनी भूमि अविभाजित है। उक्त विवादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द–बुर्द करने करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

उक्त भूमि में अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/12 हिस्सा में से प्रार्थीगण वादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा, वाद में वर्णित प्रतिवादीया संख्या 2 का 1/4 हिस्सा अविभाजित रुप से प्रार्थीगण वादीगण के जन्म से निहित है। जिसमें प्रार्थीगण वादीगण अपने हिस्से की घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी है।

अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 असामाजिक तत्वों के बहकावे व दबाव में आकर प्रार्थीगण वादीगण को उनकी पुश्तैनी भूमि से बेदखल व महरुम करने के आशय से भूमि विवादग्रस्त पर आये दिन कुछ बाहरी अजनबी व्यक्तियों को लेकर आता हैं व भूमि को बेचान, हस्तानान्तरण करने व अवैध कॉलोनी की बसावट करने के लिए भखण्डों में बेचान करने की धमकियां देता हैं। जिसका अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह प्रार्थीगण वादीगण की पुश्तैनी भूमि को खुर्द–बुर्द करे अथवा दीगर व्याक्तियों को बेचान कर प्रार्थीगण वादीगण को उनके हक व उनके हिस्से से महरुम करे।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

कभी भी अपनु पुत्र के दायित्वों का निर्वहन नही किया बल्कि मिन प्रतिवादी–अप्रार्थी व उसकी पत्नी मन्जू देवी को नाजायज रुप से हैरान व परेशान करने रहे हैं। इस कारण वादीगण–प्रार्थीगण का उक्त भूमि के किसी भी हक हिस्से पर किसी भी प्रकार का ना तो पूर्व में हिस्सा था, ना ही वर्तमान में है, ना ही वादीगण–प्रार्थीगण उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर काबिज काश्त हैं।

अप्रार्थी स0 1 उक्त भूमि में निहित अपने हिस्से पर स्वयं ही एकमात्र खातेदार काश्तकार रहा हैं, बतौर खातेदार काबिज काश्त होकर साल दर साल लगान सरकार में अदा करता आ रहा था। परन्तु वादीगण–प्रार्थीगण व प्रतिवादी–अप्रार्थीया संख्या 2 की शादी व अन्य खानगी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वादीगण–प्रार्थीगण द्वारा मिन प्रतिवादी–अप्रार्थी को नाजायज रुप से हैरान व परेशान करने के कारण मिन प्रतिवादी–अप्रार्थी को वादीगण–प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को बंजर व बेकार भूमि बताकर विश्वास में रखकर बैचान करवा दिया तथा सम्पूर्ण राशि मिन प्रतिवादी– अप्रार्थी से हडप कर ली जबकि वादीगण प्रार्थीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही था, तथा मिन प्रतिवादी– अप्रार्थी ने उक्त भूमि को अपने सम्पूर्ण हक हकुको समेत जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मातादीन अग्रवाल व पूरणमल अग्रवाल को उक्त भूमि का बैचान कर दिया तथा वादीगण–प्रार्थीगण ने उकत बैचान की सम्पूर्ण राशि को हडप करने के बावजूद मिन प्रतिवादी–प्रार्थी को हेरान व परेशान करने की गरज से उक्त वाद पैश किया है।

उकत विवादित भूमि का बेचान करने पर वादीगण–प्रार्थीगण का व मिन प्रतिवादी–अप्रार्थी का कब्जा ही नही रहा बल्कि उकत भूमि पर केतागण मातादीन अग्रवाल व पूरणमल अग्रवाल बतौर खातेदार काबिज है, तथा विक्रय पत्र के साथ सम्पूर्ण हक अधिकार उकत केतागणों मे निहित हो चुके है, इसलिये वादीगण–अप्रार्थीगण को उकत प्रकरण मे किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति कारित होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है क्योकि वादीगण–प्रार्थीगण ने उक्त भूमि का बैचान सहमति के आधार पर प्रतिवादी–अप्रार्थी से करवाया था तथा अपने हिस्से से अधिक राशि वादीगण–प्रार्थीगण ने प्राप्त कर ली थी, अब न्यायालय श्रीमान द्वारा किसी प्रकार की निषेधाज्ञा मिन प्रतिवादी–अप्रार्थी के खिलाफ जारी की जाती है तो अपूर्तनीय क्षति वादीगण–प्रार्थीगण को ना होकर केतागणों को होगी।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण–प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र झूठा व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर व मौके की थिति से विपरित होने से खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थीसं0 1 की और से अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र का जबाब उल जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी स0 1 की पत्नि एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी स0 2 की माता जी श्रीमति सुमन देवी माथूर के स्वर्गवास सन् 1987 में होने के पश्चात् अप्रार्थी सं0 1 ने एक अन्य विधवा औरत मंजू देवी के साथ उसके पति से उत्पन्न एक पुत्री नितिका उम्र करीबन 8 साल भी साथ में आयी थी, इसलिए मंजू देवी अप्रार्थी सं0 1 की ब्याता पत्नि नही है, तथा मंजू देवी के पूर्व पति से उत्पन्न पुत्री नीतिका अप्रार्थी सं0 1 की कोई विधिक वारिस नही है,क्योकि नीतिका अप्रार्थी सं0 1 की जाइन्दा पुत्री ही नही है। अप्रार्थी सं0 1 ने मन प्रार्थी के हक हिस्से की पुश्तेनी पैतृक सम्पत्ति को हडपने की नियत से गलत जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अप्रार्थी स0 1 ने गलत रूप से भूमि का बेचान किया है, जबकि भूमि विवादित पुश्तेनी है, जिसको विक्रय करने का अप्रार्थी स0 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी स0 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र मे यह नही लिखा है कि उसे किस तारीख को विक्रय की तथा किस तारीख को उप पंजियक महोदय से पंजिबद्ध करवायी थी एवं तथाकथित केता पूरणमल अग्रवाल एवं

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिनांक 27.10.2013 को विवादग्रस्त भूमि पर कुछ बाहरी अजनबी व्यक्तियों को लेकर आया व भूमि दिखाने लगा, तब प्रार्थीगण वादीगण के पूछने पर अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थीगण वादीगण को धमकी दी कि तुम इस जमीन को खाली कर दो, उक्त भूमि मेरे नाम से हैं, जिसको शीघ्र ही भूखण्डों में विभक्त करके रहूंगा। इस प्रकार अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त पुश्तैनी भूमि को बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

उक्त भूमि के अलावा प्रार्थीगण वादीगण के पास अन्य कोई भूमि नहीं है तथा प्रार्थीगण वादीगण ने अपने आवास निवास उक्त भूमि विवादग्रस्त में बना रखे है एवं जन्म से यहीं निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण वादीगण को अधिकार हांसिल है कि वे भूमि विवादग्रस्त में अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा में से प्रार्थीगण वादीगण के निहित 1/4, 1/4 हिस्सा (यानि 1/12 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा) पुश्तैनी हक हिस्सा होने की न्यायालय श्रीमान्जी से घोषणा करवा कर प्रार्थीगण वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाये व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवायें।

यदि अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषैधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वह प्रार्थीगण वादीगण को बेदखल कर देंगा, जिससे प्रार्थीगण वादीगण की पुश्तैनी हक हिस्से की भूमि छिन जावेगी। ऐसे में प्रार्थीगण वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा जिससे प्रार्थीगण वादीगण को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। जिसकी पूर्ति रुपयों में किया जाना कतई सम्भव नहीं हो सकेगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीण प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषैधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावे की विवादित भूमि आराजी ख0न0 390, 391, 392, 393 कुल किता 4 का रकबा 2.60हैक्टयर स्थित वाके ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमू की भूमि मे जबरन प्रार्थीगण वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाहखल पैदा करे, ना ही बा–जोत करने, फसल बुवाई–कटाई करने में रुकावट करें, ना ही बेचान, रहन, हस्तानान्तरण करे, ना ही अवैध कॉलोनी की बवासट करें, ना ही उक्त कार्यवाही स्वयं करें, ना ही अन्य ऐजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें एवं अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 2 उक्त आराजी के बाबत कोई विक्रय–पत्र या अन्य विलेख पत्र तसदीक नहीं करें व अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 3 उक्त आराजी के बाबत प्रार्थीगण वादीगण के हक हिस्से की बिना घोषणा के कोई रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करे, ना ही अन्य से करवायें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी स0 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अपना जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिन प्रतिवादी–अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कहा गया कि वादीगण–प्रार्थीगण ने जो कुर्सीनामा पैश किया है, वह पूर्णतया गलत कुर्सीनामा पैश किया हैं, क्योंकि मिन प्रतिवादी–अप्रार्थी की पत्नी सुमन का देहान्त हो जाने के पश्चात मन्जू देवी ही ब्याहता पत्नी थीं, तथा मन्जू देवी के निकिता वारिस हैं, ना तो वादीगण–प्रार्थीगण ने मिन प्रतिवादी–अप्रार्थी की पूर्व पत्नी सुमन को दर्शाया हैं, ना ही हाल पत्नी मन्जू देवी व उसकी पूत्री निकिता को कुर्सीनामें में दर्शाया हैं, बल्कि समस्त तथ्यों को छुपाते हुये मनमर्जी पूर्वक कुर्सीनामा तैयार कर उक्त प्रार्थना पत्र पैश किया है।

मिन प्रतिवादी–अप्रार्थी की विवादग्रस्त भूमि एकमात्र हक अधिकार की शामलाती भूमि थीं, जिसकी खातेदारी मिन प्रतिवादी–अप्रार्थी व उसकी बहिन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थीं, जिसमें से 1/12 हिस्सा मिन प्रतिवादी–अप्रार्थी के नाम दर्ज था, परन्तु वादीगण–प्रार्थीगण ने मिन प्रतिवादी–अप्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट कर उसको घर से निकाल दिया तथा

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मातादीन अग्रवाल के पिता के नाम एवं उनकी जाति एवं निवास स्थान का उल्लेख भसी अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे नही किया है, ना ही विक्रय पत्र की कोई नकल ही अप्रार्थी सं0 1 ने पेश की है। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा कोई विक्रय पत्र तस्दीक नही करवाया गया है। अगर अप्रार्थी सं0 1 ने कोई विक्रय पत्र भी पुश्तेनी विवादित भूमि का किया है तो वह मन प्रार्थी के प्रति प्रारम्भतः शुन्य एवं बेअसर है तथा मन प्रार्थी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

बहस सुनी गई। प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, जबाब प्रा.पत्र, तथा दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहन अध्ययन मनन किया गया।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनो तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है।

प्रथम दृष्टया केसः— प्रार्थीगण की और से उसके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये ही निवेदन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित विवादित आराजीयात चूंकि पैत्रक आराजीयात है जिस कारण उसमे जन्म से ही हक अधिकार निहित होने के कारण उसमे प्रथम दृष्टया केश साबित है। जबकि प्रार्थी स0 1 के अधिवक्ता द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण विवादित आराजीयात के ना तो खातेदार है और ना ही काश्तकार है तथा प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान के समक्ष स्वच्छ हाथो से नही आये है। अप्रार्थी स0 1 विवादित आराजीयात मे राजस्व रिकोर्ड मे निहित हिस्से अनुसयार काबिज खातेदार काश्तकार है तथा कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती।

हमारे द्वारा पत्रावली व पक्षकारों के विद्वान अध्विक्ताओ की बहस पर मनन किया गया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सं0 1 विवादित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा कानूनन एक गैर खातेदार को खातेदार काश्तकार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया केश का सिद्धान्त प्रार्थीया के हक मे साबित ना होकर अप्रार्थी स0 1 के हक मे बखुबी साबित होता है।

सुविधा का सन्तुलन :— प्रार्थीया विवादित आराजीयात बाबत् प्रथम दृष्टया केस साबित करने मे असफ रही है। जिस कारण प्रार्थीया के पक्ष मे किसी भी प्रकार का सुविधा का सन्तुलन साबित नही होता है।

अपूर्तनीय क्षतिः— प्रार्थीया के हक मे प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन साबित नही होने से यदि किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के पक्ष मे जारी कि जाती है। तो प्रार्थीया की तुलना मे अप्रार्थी स0 1 को विवादित आराजीयात मे खातेदार काश्तकार को अपने खातेदारी उपयोग उपभोग करने मे अधिक असुविधा होगी।

ऐसी स्थिति प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूतनीय क्षति का सिद्धांत प्राथीयाा के हक में साबित नही होने तथा अप्रार्थी स0 2 का जबाब काउन्टर प्रा0पत्र भी अप्रार्थी स0 2 द्वारा साबित नही होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व अप्रार्थी स0 2 का काउन्टर प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner